मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-8

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 9 नवम्बर, 2006 (कार्तिक 18, 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. निधन उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा भूतपूर्व सदस्य विधान सभा श्री शिवलाल वेदिया के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये गये.

संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी, सदस्यगण श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, श्री रामलखन शर्मा तथा डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये.

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के लिए संवेदना प्रकट की गई।

दिवंगतों के सम्मान में विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 10.38 बजे 5 मिनिट के लिए स्थगित होकर 10.43 बजे पुन: प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 98 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 119 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य ने मैहर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कोयलारी गांव में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय हेतु भवन निर्माण पूर्ण कराये जाने,

(2) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य ने सीधी जिले के पुलिस चौकी जयन्त के पास एक व्यक्ति के साथ मारपीट किये जाने,

(3) श्रीमती अर्चना चिटनीस, सदस्य ने म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कैंसर पीड़ित सहायक शिक्षिका को मूल विभाग में लौटाये जाने एवं तीन माह से वेतन न मिलने,

(4) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल, सदस्य ने रीवा जिले के ग्राम शिवपुरी स्थित तालाब पर अतिक्रमण होने,

(5) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञान केन्द्र खोलने में अनियमितता होने,

(6) श्री हाकम सिंह चढ़ार, सदस्य ने नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव तहसील के ग्राम सागर निवासी पर धारदार हथियार से हमला होने,

(7) श्री शिवप्रसाद राठौर, सदस्य ने बैतूल जिला अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने,

(8) श्री शिवराज शाह, सदस्य ने मंडला जिले में नाबालिक बच्चियों की बिक्री होने,

(9) श्री विजय बहादुर सिंह बुन्देला, सदस्य ने जिला छतरपुर में डकैतों का आतंक होने,

(10) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद जिले के ग्राम बुरहानपुर के निवासी द्वारा जमीन वापस की मांग को लेकर भूख हड़ताल होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(11) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना सिविल लाइन थानांतर्गत शिवनगर मोहल्ला में बदमाशों द्वारा लूटपाट व घायल कर दिये जाने,

(12) श्री लाखन सिंह बघेल, सदस्य की भिण्ड जिले की ग्राम पंचायत गोहदपुरा में सड़क निर्माण में अनियमितता होने,

(13) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की बैतूल जिले के आमला ब्लाक के ग्राम खापा खतेड़ा में पुलिस द्वारा एक अपराधी तथा उसके परिवार को संरक्षण दिये जाने से नागरिकों में रोष होने,

(14) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की कटनी जिले के झिंझरी बिलहरि देवगांव मार्ग लगभग 25 कि.मी. क्षतिग्रस्त होने,

(15) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिंदवाड़ा जिले के विद्युत वितरण कंपनी में पदस्थ कर्मचारी/आपरेटर समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं रहने,

(16) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की बड़वाह विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सनावद खरगौन पर निर्मित रपटे क्षतिग्रस्त होने,

(17) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य की राजगढ़ जिले के अनेक ग्रामों के विद्युत तार चोरी होने से ग्रामवासियों को बिजली न मिल पाने,

(18) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले में किसानों को खाद न मिलने से किसानों की फसलें बर्बाद होने,

(19) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले में सिंथेटिक दूध का कारोबार धड़ल्ले से होने,

(20) श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य की भोपाल क्षेत्र के पांच नम्बर बस स्टाप स्थित रविशंकर शुक्ल मार्केट में अतिक्रमण कर एच.आई.जी. मकान बनाये जाने,

(21) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की खिलचीपुर तहसील के जीरापुर में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य द्वारा अनियमितता किये जाने,

(22) श्री दरबू सिंह उईके, सदस्य की भोपाल के बैरागढ़ चिकित्सालय में महिला चिकित्सक की रात में ड्यूटी न किये जाने,

(23) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र के ग्राम बुडेरा, खुरजान नितनवास के लिए ग्राम सहसरय में घोघा कोकर जाने वाली विद्युत लाईन टूटी होने से उत्पन्न स्थिति,

(24) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, सदस्य की बालाघाट एवं वारासिवनी स्थित अनेक ग्रामों में विधायक निधि के माध्यम से विद्युत पोलों का विस्तार न किये जाने,

(25) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा, सदस्य की जिला सीहोर अंतर्गत नसरुल्लागंज बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा शिविर आयोजन कागजों पर कर राशि का गबन होने,

(26) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य की सीधी जिले के ग्राम गुडोरी में दहेज के कारण नव-विवाहिता की हत्या होने,

(27) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के बरमान धार पर अस्थाई पेन्टून पुल बनाए जाने,

(28) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य की भिण्ड जिले के गोहद में चोरियां होने,

(29) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य की ग्वालियर जिले के गिर्द क्षेत्र का दो तिहाई क्षेत्र अकाल ग्रस्त होने एवं हैण्डपंपों का संधारण युद्ध स्तर पर किये जाने,

(30) श्री मनोहरलाल राठौर, सदस्य की राष्ट्रीय राजमार्ग 59-ए टिमरनी हरदा के बीच मार्ग क्षतिग्रस्त होने,

(31) श्री रामदास उईके, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग एवं भोपाल शहर स्थित शालाओं में शिक्षकों/सहायक शिक्षकों को दो-दो वर्षों उपरान्त भी चिकित्सा देयकों का भुगतान न किये जाने,

(32) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य की बालाघाट जिले के जनपद पंचायत कटंगी में आंगनबाड़ी केन्द्र में कार्यकर्ता के रिक्त पद भरे जाने,

(33) श्री ओम प्रकाश पुरोहित, नीमच रतलाम मार्ग की जर्जर हालत होने,

(34) श्री रामदयाल प्रभाकर,सदस्य की ग्वालियर शुगर मिल द्वारा कृषकों का माल न खरीदे जाने, तथा

(35)श्री हमीद काजी, सदस्य की बुरहानपुर जिले में कृषि बीज निर्धारित दर पर बेचे जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

चौधरी चन्द्रभान सिंह, कृषि मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 1997 (क्रमांक 28 सन् 1997) की धारा 3 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2002-2003,

पटल पर रखा।

5. औचित्य प्रश्न और व्यवस्था

शून्यकाल में व्यवस्था का प्रश्न न उठाया जाना

श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य द्वारा शून्यकाल के दौरान व्यवस्था के प्रश्न को उठाने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि -

आखिर शून्यकाल में व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठ सकता है. व्यवस्था का प्रश्न और औचित्य का प्रश्न मुझे कितनी बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप समझने की कोशिश तो करिये। जब सन पर कोई विषय विचाराधीन हो और वह विचाराधीन विषय भटक जाये या उसमें कमी-बेशी हो, तब व्यवस्था का प्रश्न उठेगा। यह चर्चा सदन में पहले भी हो चुकी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि शून्यकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता।

6. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय आज की कार्यसूची में 40 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुये सम्मिलित किया गया है। विधानसभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम 10 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) डॉ. आई.एम.पी.वर्मा, सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, आरिफ अकील, सदस्य ने उज्जैन के माधव कालेज के प्रोफेसर की छात्र संघ चुनाव के दौरान मौत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा उज्जैन के माधव कालेज के प्रोफेसर की छात्र संघ चुनाव के दौरान मौत होने संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) डॉ गोविन्द सिंह, सदस्य ने सम्राट अशोक सागर परियोजना, विदिशा एवं जल संसाधन संभाग, राजगढ़ द्वारा पाइप खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(1.04 बजे से 2.34 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(डॉ. गौरीशंकर शेजवार, श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया), सदस्य की जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा प्राध्यापकों की भर्ती में अनियमितता किये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना सदन से उनकी अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत नहीं हो सकी)

(3) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य ने शिवपुरी जिले में राजघाट बांध परियोजना की नहर टूटने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य ने सागर जिले में सड़क निर्माण हेतु ठेकेदार द्वारा अवैध उत्खनन किये जाने की ओर राज्यमंत्री, खनिज साधन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री, खनिज साधन ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) श्री अंतर सिंह दरबार, सदस्य ने इंदौर जिले के मानपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष द्वारा पद का दुरूपयोग किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) सर्वश्री राजेन्द्र कुमार सिंह, घनश्याम सिंह, बंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य ने सतना नगर निगम द्वारा फ्लाई केचर खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(7) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य ने बैतूल जिले के मुलताई क्षेत्र में विद्युत प्रदाय बंद किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(8) श्री हरवंश सिंह, सदस्य ने राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन के तहत पदस्थ समन्वयकों की सेवाएं समाप्त किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(9) श्री घनश्याम सिंह, सदस्य ने दतिया जिले में सूखे से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा वर्तमान सत्र में दिये गये लोक महत्व के विषय प्रदेश में पेयजल और विद्युत संकट से उत्पन्न स्थिति के ओर शासन का ध्यान नहीं होने की बात कहते हुए विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(10) सर्वश्री रामनिवास रावत, सज्जन सिंह वर्मा, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की उज्जैन स्थित सिंथेटिक उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का वक्तव्य।

(11) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य की पवई क्षेत्र के राजस्व भूमि पर हो रहे उत्खनन को वन विभाग द्वारा रोके जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(12) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, सदस्य की भोपाल स्थित मंत्रालय की सत्कार शाखा से कैश बुक की चोरी होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(13) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य की होशंगाबाद जिला सहकारी केन्द्रीय बैक में अपात्र व्यक्ति की नियुक्ति किये जाने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य।

(14) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के ग्राम आलमपुर में डकैतों द्वारा लूट-पाट कर हत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्य मंत्री का वक्तव्य।

(15) श्री दिग्विजय सिंह,डॉ. गोविन्द सिंह,सदस्य की अशोक नगर में निर्दोष छात्रों को गिरफ्तार किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्य मंत्री का वक्तव्य।

(16) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, सदस्य की रायसेन जिले के मंडीदीप क्षेत्र में जहरीली गैस के रिसाव से कई व्यक्तियों की मौत होने संबंधी सूचना तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य।

(17) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य की जौरा क्षेत्र में विद्युत संकट से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य।

(18) सर्वश्री आरिफ अकील, सुखदेव पांसे, सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की भोपाल के कमला नगर थानांतर्गत मादक पदार्थों की बिक्री होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(19) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य की सीधी जिले के अनेक ग्रामों में विद्युत ट्रांसफार्मर जलने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य।

(20) श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य की भिण्ड जिले में सिंचाई के लिए पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(21) सर्वश्री रामनिवास रावत, दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले में सिचाई हेतु पानी न मिलने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(22) श्री लाखन सिंह बघेल, सदस्य की करेरा जलप्रदाय आवर्धन योजना कार्य में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य।

(23) श्री अंतर सिंह दरबार, सदस्य की धार जिले के पीथमपुर क्षेत्र में आटो टेस्टिंग हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजा वितरण में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(24) डॉ.गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के प्रभारी उद्यान सहायक संचालक द्वारा धनिया बीज के प्रदर्शन में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य।

(25) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के अंतर्गत राजघाट परियोजना की भांडेर नहर प्रणाली के तहत पानी न छोडे जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(26) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर विधान सभा क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य।

(27) डॉ. आई. एम.पी. वर्मा, श्री सज्जन सिंह वर्मा, श्री आरिफ अकील, सदस्य की दतिया जिले के सिंध नदी में अचानक आई बाढ़ से कई लोगो की डूबने से हुई मौत संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(28) सर्वश्री हरवंश सिंह, इन्द्रजीत कुमार, सुखदेव पांसे, सदस्य की बालाघाट जिले के बैहर निवासी युवक द्वारा पुलिस प्रताडना से तंग होकर आत्महत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्य मंत्री का वक्तव्य।

(29) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य की मुरैना जिले की कई ग्रामों में विद्युत तार चोरी होने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य।

(30) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत, सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की उज्जैन के फ्रीगंज में मां- बेटी की हत्या होने संबंधी सूचना तथा मुख्य मंत्री का वक्तव्य।

(31) श्री आरिफ अकील, डॉ. सुनीलम्, सदस्य की छतरपुर जिले के ग्राम बनियानी में एक महिला के सती होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(32) सर्वश्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, रामलखन शर्मा, इन्द्रजीत कुमार, सदस्य की अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा अंतर्गत कोयला खदान धसने से श्रमिकों की मौत होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(33) श्री निशिथ पटेल, सदस्य की नीमच जिले में विद्युत संकट से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य।

(34) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की ग्वालियर जिले के घाटी गांव के सेन्ट्रल बैंक में लूट की घटना होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(35) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा कालोनियों के खुले स्थानों का आवंटन किये जाने संबंधी सूचना तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य।

(36) श्री मनमोहन शाह बट्टी, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की कटनी जिले में अवैध उत्खनन होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री खनिज साधन का वक्तव्य।

(37) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की होशंगाबाद जिले के पिपरिया-बरेली मार्ग पर स्थित मच्छवास नदी में ट्रक के गिरने से कई यात्रियों की मौत होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(38) श्रीमती अर्चना चिटनिस, सदस्य की बुरहानपुर जिले की सहकारी सूत मिल बहादुरपुर को बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा ग्रामोद्योग मंत्री का वक्तव्य।

(39) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा स्थित गुरुद्वारा श्री गुरुसिंघ सभा के अध्यक्ष पर प्राणघातक हमले के अपराधी न पकड़े जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

7. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने नियम समिति का तृतीय प्रतिवेदन पटल पर रखा।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की भोपाल नगर निगम सीमा अंतर्गत ग्राम सेवनिया गोंड (वार्ड क्र. 31) के नागरिकों को आवासीय पट्टा दिलाये जाने,

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के -

(क) ग्राम गुढ़ा चम्बल को कटाव से बचाये जाने,

(ख) ग्राम देवगढ़ में नहर रोड से पुराना पुलिस थाना तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ग) मजरा भगवान सिंह के पुरा से भैदपुरा तक सड़क बनाये जाने,

(घ) ग्राम हरचन्द बसई से पिढ़ावली तक सड़क बनाये जाने, तथा

(ङ) ग्राम लोहा बसई में पटेल के मकान से बघेल मुहल्ला तक कंक्रीट रोड बनाये जाने,

(3) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के -

(क) पर्यटन स्थल ओरछा स्थित रायप्रवीण महल के बगीचे में फलदार एवं फूलदार वृक्ष लगाये जाने,

(ख) पर्यटन स्थल ओरछा से ओरछा तिगेला तक सड़क एवं पुलियों का चौड़ीकरण कराये जाने, तथा

(ग) ओरछा अभ्यारण्य एवं वन क्षेत्र के चारों तरफ बाड़ लगाये जाने,

(4) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य की पन्ना जिले के ग्राम कल्दा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(5) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य की खरगोन जिले के ग्राम सबलपुरा स्थित शराब कारखाने के अपशिष्ट से नर्मदा नदी को दूषित होने से बचाये जाने, एवं

(6) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य की राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम मोरपीपली में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने,

(ख) ग्राम अमरगढ़ किला में हाईस्कूल प्रारम्भ कराये जाने,

(ग) ग्राम सुआहेड़ी से महुआवे तक सड़क बनाये जाने,

(घ) ग्राम पपडेल से ग्राम भूमरिया होकर राजस्थान की सीमा तक सड़क का नवीनीकरण एवं डामरीकरण कराये जाने, तथा

(ङ) ग्राम सिन्दुरिया से आगरा-बाम्बे रोड तक सड़क का नवीनीकरण एवं डामरीकरण कराये जाने,

संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई।

9. वक्तव्य

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने दिनांक 25 मार्च, 2003 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्रमांक 5721) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

10. सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उन्होंने मध्यप्रदेश वन उपज (व्यपार-विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006 की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश की कंडिका-24 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर उक्त विधेयकों को आज ही सदन में पुर:स्थापित करने तथा उस पर विचार किये जाने की अनुमति प्रदान की है।

मैं, समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006 (क्रमांक 27 सन् 2006) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 26 सन् 2006) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत

(2) श्री दुर्गालाल विजय

(3) श्री सत्यदेव कटारे

(4) श्री रामलखन शर्मा

(5) डॉ. सुनीलम्

(6) डॉ. गोविन्द सिंह

(7) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

(8) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड-1

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खण्ड-1 में इस प्रकार संशोधन किया जाय :-
खण्ड-1 के उपखण्ड (2) में :-

"दिसम्बर, 2003" के स्थान पर "9 नवम्बर, 2006" अन्तः स्थापित किया जाए।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खण्ड-1 विधेयक का अंग बना।

खण्ड-2, विधेयक का अंग बना।

खण्ड-3

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खण्ड-3 में इस प्रकार संशोधन किया जाय :-
खण्ड-3 के उपखण्ड (2) की अंतिम पंक्ति में शब्दावली :-

"ऐसे पद के लिए प्रतिकारात्मक भत्ता प्राप्त करता है" का लोप किया जाए।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खण्ड-3 विधेयक का अंग बना।

खण्ड-4

डॉ. नरोत्तम मिश्रा,संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि खण्ड-4 में इस प्रकार संशोधन किया जाय :-

खण्ड-4 के उपखण्ड (दो) में मद 93 के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाय, अर्थात :-

"94. मध्यप्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष."

संशोधन स्वीकृत हुआ।

यथा संशोधित खण्ड-4 विधेयक का अंग बना।

खण्ड-4

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि खण्ड-4 में इस प्रकार संशोधन किया जाय :-

खण्ड-4 के उपखण्ड (दो) में मद 93 के पश्चात् निम्नलिखित मदें जोड़ी जाय, अर्थात :-

94. मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन का अध्यक्ष,

95. नगर निगम का महापौर,

96. मध्यप्रदेश भंडार निगम का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष,

97. मध्यप्रदेश राज्य निर्यात निगम का अध्यक्ष,

98. मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम का अध्यक्ष.".

संशोधन स्वीकृत हुआ।

खण्ड-4

श्री सत्यदेव कटारे (सदस्य) ने प्रस्ताव किया कि खण्ड-4 में इस प्रकार संशोधन किया जाय :-

खण्ड-4 के उपखण्ड (दो) में मद 93 के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाय, अर्थात :-

94. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का चेयरमेन;

95. नगर निगम का महापौर;

96. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष;

97. मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष;

98. मध्यप्रदेश भंडार निगम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष;

99. मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य;

100. मध्यप्रदेश राज्य निर्यात निगम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष;

101. मध्यप्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष;

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खण्ड-4

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खण्ड-4 में इस प्रकार संशोधन किया जाय :-
खण्ड-4 की अनुसूची में :-

"(दो) मद 23 में "राज्यमंत्री या उपमंत्री" शब्दों का लोप किया जाए।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खण्ड-4 विधेयक का अंग बना।

खण्ड-5

श्री सत्यदेव कटारे/श्री रामनिवास रावत (सदस्य) ने प्रस्ताव किया कि खण्ड-5 में इस प्रकार संशोधन किया जाय :-

"खण्ड-5 के उप खण्ड (3) का लोप किया जाए."

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खण्ड-5 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 26 सन् 2006) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(3) श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006 (क्रमांक 27 सन् 2006) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत

(2) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड-2,3,4 तथा 5 विधेयक के अंग बने।

खण्ड-1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि विधेयक में जहां-जहां भी "पशु" शब्द आया हो, उसे विलोपित किया जाय।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006 (क्रमांक 27 सन् 2006) पारित किया जाय।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

यथा संशोधित विधेयक पारित हुआ।

12. नियम 239 के अंतर्गत सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उनके समक्ष निम्नांकित विशेषाधिकार भंग की सूचनायें विचाराधीन है :-

(1) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य विधान सभा द्वारा रेल्वे के सतर्कता अधिकारियों के विरूद्ध।

(2) श्री लाल सिंह आर्य एवं अन्य विधान सभा सदस्यों द्वारा श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री अजय सिंह, श्री सज्जन सिंह वर्मा, श्री घनश्याम सिंह तथा श्री अंतर सिंह दरबार सदस्य विधान सभा के विरूद्ध।

(3) श्री गजराज सिंह सिकरवार एवं अन्य विधान सभा सदस्यों द्वारा श्री दिग्विजय सिंह, सदस्य विधान सभा के विरूद्ध।

13. पृच्छा

श्री कपूरचंद्र घुवारा, सदस्य द्वारा सदन में सूचना दी गई कि मेरे ऊपर आज पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती के समर्थकों द्वारा हमला किया गया है।

अध्यक्ष महोदय ने आसंदी से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वे श्री कपूरचंद घुवारा, सदस्य को अपने कक्ष में बुलाकर उनकी व्यथा को सुने तथा उन्हें सुरक्षा दें।

14. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर निम्नानुसार उद्गार व्यक्त किये गये :-

मध्यप्रदेश विधान सभा का यह शीतकालीन सत्र समापन की ओर अग्रसर है। दस दिवसीय इस सत्र में आठ बैठकें हुई।

इस सत्र में विधायी, वित्तीय और लोक महत्व के अनेक कार्य सम्पन्न हुए।

इस सत्र में सभा ने 05 शासकीय विधेयकों को अपनी स्वीकृति प्रदान की, वहीं वर्ष 2006-2007 की द्वितीय अनुपूरक मांगों को पारित किया।

इस सत्र में कुल 1985 प्रश्न प्राप्त हुए जिसमें 1194 तारांकित प्रश्न एवं 791 अतारांकित प्रश्न थे। सदन में 23 ध्यानाकर्षण की सूचनाओं पर चर्चा हुई। एक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई ओर एक स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा हुई। विशेषाधिकार भंग की दो सूचनाएं प्राप्त हुई। अनेक सभा समितियों के प्रतिवेदन इस सत्र के दौरान प्रस्तुत किए गए।

यह सत्र अपने आपमें विशिष्ट रहा क्योंकि मध्यप्रदेश विधान सभा की स्वर्ण जयंती वर्ष के समापन कार्यक्रम इस अवधि में संपन्न हुए जिसका प्रारंभ महामहिम राष्ट्रपति जी ने दिनांक 17 जुलाई, 2006 को इस सदन में माननीय सदस्यों को संबोधित करके किया था। इसका समापन महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 को किया गया। इस अवसर पर अनेक सांसद एवं पूर्व सांसदों/विधायकों ने आकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। विधान सभा की स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम के द्वारा हमको विगत पचास वर्षों की उपलब्धियों की ओर देखने का अवसर मिला तथा भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने का आधार मिला। इन कार्यक्रमों के गरिमामय सफल आयोजन में आपका जो सहयोग मुझे मिला, उसके लिए आप सभी का ह्दय से आभारी हूं।

इस सत्र के कार्य संचालन में मुझे सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति तालिका के सदस्यगण एवं सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मिला, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

मैं प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़े सभी पत्रकारों का भी आभारी हूं जिन्होंने इस सदन की पल-पल की कार्यवाही को आम जनों तक पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

मैं विधान सभा सचिवालय और शासन के अधिकारियों तथा सुरक्षाकर्मियों को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

हम सभी अगले सत्र में पुनः समवेत होंगे। इस अवसर पर मैं आप सभी को और प्रदेश के नागरिकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सभी की समृद्धि और कल्याण के लिए प्रभु से कामना करता हूँ।

धन्यवाद।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष, श्री हजारीलाल रघुवंशी, उपाध्यक्ष महोदय, श्री विजय बहादुर सिंह बुन्देला, श्री रामलखन शर्मा, श्री मनमोहन शाह "बट्टी", तथा डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्यगण ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किये।

(श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य द्वारा वर्तमान सत्र में विद्युत संकट पर एक दिन की चर्चा न कराये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

15. राष्ट्रगान

सदन में माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूह गान किया गया।

16. सत्र का अनिश्चित काल के लिए स्थगन

सायं 05 बज कर 9 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.